ग्राम पंचायत तंगरोटी खास, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176052 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत तंगरोटी खास, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री योगेश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री अमित कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री अजय कुमार	01.04.2022 से 23.08.2022
2	श्री रोहित कुमार डोगरा	24.08.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती अनिता देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत तंगरोटी खास के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.03
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	12.22
3	6.1	सम्पत्ति कर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.62
4	6.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.04
5	7.1	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.21
6	7.2	खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	7.91
7	8.1	निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु अनियमित भुगतान करना	6.06
8	8.2	निर्माण कार्यों के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.08
9	8.3	स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे खर्च करना	0.25
10	10	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	6.95

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत तंगरोटी खास का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 व 01/04/2018 से 31/03/2020 के लिये किया गया था, जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है :–

(1)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	5(1)	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
2.	5(2)	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
3.	5(3)	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
4.	5(4)	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
5.	6	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
6.	10	अनिर्णीत	--
7.	11	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
8.	12	अनिर्णीत	--
9.	13	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
10.	14	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2020 तक

क्र0 सं0	पैरा सं0	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
2.	4	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
3.	5(1)(2)	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
4.	6	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
5.	7	अनिर्णीत	—
6.	8	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
7.	9	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
8.	10	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
9.	11	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
10.	12	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक

			10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
11.	13	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
12.	14	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
13.	15	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत तंगरोटी खास के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.10.2024 से 29.10.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	07/2022	11/2022
2023—24	09/2023	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/513 दिनांक—29.10.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक योलकैम्प के मल्टीसिटी चैक संख्या 546841 दिनांक12.11.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/495 दिनांकः—22.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

1.स्व—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	548492.53	309135.63	857628.16	349352.69	508275.47
2023-24	508275.47	488006.60	996282.07	551377.26	444904.81

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1154837.28	4431670.55	5586507.83	4443093.72	1143414.11
2023-24	1143414.11	3837915.02	4981329.13	3759367.75	1221961.38

कुल योग (1+2) 444904.81+1221961.38 **=1666866.19**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अतंशेष ₹16,66,866.19/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट—3**" के अनुसार अन्तशेष ₹16,63,972.76/—से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित / एस.डी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक योल	20012008269	239496
2	स्वःस्त्रोत / एस.डी. आर.एफ	पी•एन•बी योल	6710000100037324	8117.88
3	स्वःस्त्रोत	पी•एन•बी योल	6710000100023455	42513.43
4	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•बैंक धर्मशाला	20002132822	153923.50
5	वी.के.वी.एन.वाई	पी•एन•बी योल	6710000100038305	147993.93
6	एस.डी.पी	पी•एन•बी योल	6710000100031375	81711.90
7	एस.डी.पी / एम.पी. लेड	पी•एन•बी योल	6710000100024056	36452.59
8	एम.एम.जी.पी.वाई	पी•एन•बी योल	6710000100037333	9549.53
9	14वाँ वित्त	एच•डी.•एफ•सी.बैंक नगरोटा बंगबां	50100178062562	0
10	15वाँ वित्त / पी.एस / जेड.पी	पी•एन•बी योल	6710000100065424	943360
	हस्तगत शेष (ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			854
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹1663972.76
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹1666866.19
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹1663972.76
अन्तरः–				₹2893.43

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण राशि ₹0.03/– लाख का अन्तर पाया जाना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत तंगरोटी खास द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान वं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना

में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹2893.43/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/497 दिनांकः–23.10.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–30 दिनांकः–29.10.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत तंगरोटी खास के बैंक खातो के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः स्त्रोत, 5वां वित, एस.डी.आर.एफ आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20012008269 खोला गया था। जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त पैरा 4 (ख) पर दर्शाई बैंक खातों की विवरणी अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा स्वःस्त्रोत के चार खाते खोले गये थे, जोकि उपरोक्त निर्देशों व पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 की पूर्णतः अवहेलना है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/512 दिनांकः–29.10.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 30 दिनांकः–29.10.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि स्कीम वाईज खातो का अनुसंधारण कर दिया जायेगा, प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख–रखाव न करने तथा स्कीम वाईज खातो का संचालन न करने व स्वः स्त्रोत के ही एक से अधिक खाते खोलने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ही रोकड़ बही एवं बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान की राशि ₹12.22/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/495 दिनांकः–22.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹12,21,961.38/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	**अनुदान का नाम**	**दिनांक**	**राशि (₹)**
1	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	147993.93
2	एस.डी.पी	31.03.2024	81711.90
3	एस.डी.पी/एम.पी.लेड	31.03.2024	36452.59
4	एम.एम.जी.पी.वाई	31.03.2024	9549.53
5	14वाँ वित्त	31.03.2024	2893.43
6	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	943360.00
		कुल जोड	**1221961.38**

उपरोक्त तथ्य एवं आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/498 दिनांक–24.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–30 दिनांकः–29.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.62/- लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत(Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/495 दिनांकः–22.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹61700**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का पंचायत द्वारा बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है, यदि पंचायत राजस्व बकाया इसी तरह परादेय रहता रहा, तो किसी एक समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जायेगा तथा सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/499 दिनांकः–24.10.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–30 दिनांकः–29.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी नियमित वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.04/– लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/495 दिनांकः–22.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत तंगरोटी खास द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान ₹3800 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि (₹)
1	2023–24	3800

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/499 दिनांकः–24.10.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत तंगरोटी खास के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–30 दिनांकः–29.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.21/– लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत तंगरोटी खास के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹20739/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना

ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था:—

क्र0सं0 व अनुदान	वा0सं0/ दिनांक	सामग्री का विवरण	बिल सं0/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि (₹)
1.SF	12/28.06.2023	DSC Payment	23-0294/ 31.05.2023	M/s.Arthsankhya Edigital Private Ltd- NarwanaYol D/Shala	-	-	3400
2.VKVNY	P/03/22.06.2023	Marble JK Dharmeta ,Marble Patti ,Araldite Resin (Including GST)	428/ 07.06.23	M/s Kangra Trading Company Ghurkari Kangra	-	-	13535
3.VKVNY	P/03/22.06.2023	Marble JK Dharmeta (Including GST)	450/ 12.06.23	M/s Kangra Trading Company Ghurkari Kangra	-	-	3804
					Total		**20739**

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/504 दिनांकः—26.10.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—30 दिनांकः—29.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹7.91/— लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो

से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/496 दिनांकः–22.10.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "6"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के वैध स्त्रोत के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹790596.95/– का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/511 दिनांकः–28.10.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–30 दिनांकः–29.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना व जानकारी के अभाव में किया गया है, वर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया, क्योंकि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो नियमानुसार समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इन प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

नोटः–उपरोक्त व्यय अंकेक्षण अवधि 2022–23, 2023–24 के दौरान समस्त क्रय की गई खनन सामग्री से संबंधित है। अंकेक्षण केवल चयनित माह 11/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों का ही किया गया।

8.1 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹6.06/- लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के अंतर्गत

निम्न विवरणानुसार राशि ₹6,06,080 के पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया गया था तथा न हीं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction. अनुसार निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी, परिणामस्वरूप अनियमित भुगतान किया गया, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है:—

क्र० सं०	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि (₹)
1	SDP	02/05.11.2022	11/ 2022	Minar Tiles from M/s N.S.Energies Sutrehar Nagrota Bagwan Bill No 1065 dt.-22.06.2022	3100	122450
2	NREGA	Nil/18.11.2022	11/ 2022	60mm(Paver.Block)from M/s Riyanshi Enterprises Dodhamb ShahpurBill No 166 dt.-04.11.2022	6550	137550
3	NREGA	Nil/18.11.2022	11/ 2022	60mm(Paver.Block)from M/s Riyanshi Enterprises Dodhamb ShahpurBill No 167 dt.-04.11.2022	1000	22000
4	NREGA	Nil/18.11.2022	11/ 2022	60mm(Paver.Block)from M/s Riyanshi Enterprises Dodhamb ShahpurBill No 168 dt.-04.11.2022	4000	84000
5	NREGA	Nil/18.11.2022	11/ 2022	60mm(Paver.Block)from M/s Riyanshi Enterprises Dodhamb ShahpurBill No 169 dt.-04.11.2022	3550	78100
6	NREGA	Nil/18.11.2022	11/ 2022	60mm(Paver.Block)from M/s Riyanshi Enterprises Dodhamb ShahpurBill No 172 dt.-04.11.2022	4880	102480

7	NREGA	Nil/18.11.2022	11/ 2022	60mm(Paver.Block)from M/s Riyanshi Enterprises Dodhamb ShahpurBill No 173 dt.-04.11.2022	600	13200
8	NREGA	Nil/18.11.2022	11/ 2022	40mm(Paver.Block)from M/s Riyanshi Enterprises Dodhamb ShahpurBill No 170 dt.-04.11.2022	2150	38700
9	NREGA	Nil/18.11.2022	11/ 2022	40mm(Paver.Block)from M/s Riyanshi Enterprises Dodhamb ShahpurBill No 171 dt.-04.11.2022	400	7600
					योग	**606080**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/501 दिनांकः—25.10.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय के पत्र संख्याः—30 दिनांकः—29.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री क्रय की जाएगी, प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त व्यय को उक्त पत्र में उल्लेखित सक्षम तकनीकी प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें।

8.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्यो के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.08/—लाख का अधिक भुगतान करना :-

1.निर्माण कार्य रास्ते में इंटरलॉक टाईल डालना पुली से लेकर चमन लाल के घर की ओर वार्ड—3 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 0126 के पृष्ठ संख्या 35 में निर्माण सामग्री, पेवर ब्लॉक टाईल्स का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 172 व 173 दिनांक 04.11.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक टाईल्स 5480 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹6776 का अधिक भुगतान किया गया।

2.निर्माण कार्य रास्ते में ईंटरलॉक टाईल डालना मुख्य रास्तें से पुन्या देवी, जोगिन्द्र कुमार व देव राज के घर वार्ड—2 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 0126 के पृष्ठ संख्या 68 व 69 में निर्माण सामग्री, सीमेंट का माप पुस्तिका में

निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 375122 दिनांक 09.09. 2024 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 25 बैग का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹1227 का अधिक भुगतान किया गया।

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	नरेगा	पेवर ब्लॉक टाईल्स	5480	5172	308	22	6776
2.	नरेगा	सीमेंट	25 बैग	22 बैग	3 बैग	409	1227
						कुल	8003

वास्तविक खपत योग्य सामग्री का विवरण :–

1.Item-5 -Interlock Tiles(60mm)=156.72m2 X 33(Tiles Factor) =5171**.76 or say 5172Tiles**

2.Item-1 -P/L(1:4:8)=3.36m3X3.40(Cement. Factor) =11.42**Bags**

Item-3 -P/L(1:2:4)=1.66m3X6.40(Cement. Factor) **=10.62Bags**

Total =22.04 or say 22Bags

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/510 दिनांकः–28.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–30 दिनांकः–29.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित व्यक्ति से करने उपरान्त संबंधित खाते में जमा करवा दी जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अधिक व अनियमित भुगतान/व्यय की गई राशि बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 सभा निधि में प्राप्त राशि ₹0.25/– लाख को बैंक में जमा न करवाने व सीधे खर्च करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बन्धित बैंक खातों में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत तंगरोटी खास के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वः–स्त्रोतो से वसूल की गई निम्न विवरणानुसार आय को बैंक में जमा न करवाकर इंटरनेट बिल/ब्रॉडबेण्ड, बिजली बिल, कार्यालय व्यय, ग्राम सभा व्यय व मानदेय पंचायत चौकीदार इत्यादि के लिये सीधे खर्च कर दिया गया था, जिससे कि पंचायत स्वः–स्त्रोतों व सरकारी कोष की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह न केवल गम्भीर अनियमितता है बल्कि आपतिजनक भी है। इस गंभीर प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/512 दिनांकः 29/10/2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत तंगरोटी खास के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 30 दिनांक 29.10.2024 द्वारा दिया गया उतर कि वर्तमान समय से सीधे तौर पर खर्च न करके नियमानुसार ही व्यय किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त किये गए व्यय को नियमो के अनुरूप पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित कर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये । इसके अतिरिक्त स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना खर्च करने के फलस्वरूप होने वाले वित्तीय दुर्विनियोजन की सम्भावना के दृष्टिगत यह मामला उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है:–

आय का विवरणः–

वितीय वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त आय (₹)	बैंक में जमा करवाई गई राशि (₹)	बैंक में कम जमा करवाई गई राशि (₹)	विवरण
2022–23	16957	निल	16957	गृह कर, विवाह शुल्क
2023–24	7869	निल	7869	गृह कर, विवाह शुल्क
कुल योग	**24826**	**निल**	**24826**	

व्यय का विवरणः–

क्र0सं0	वाउचर सं0/ दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	क्रय की गई सामग्री	व्यय राशि (₹)
1	24/20.08.22	71	ईंटरनेट बिल	873
2	25/20.08.22	71	कार्यालय व्यय	1000
3	27/20.09.22	72	ईंटरनेट बिल	1019
4	35/25.10.22	74	ईंटरनेट बिल	1022
5	37/03.11.22	75	ग्राम सभा जलपान	1674
6	38/03.11.22	75	ग्राम सभा जलपान	1000

7	40/28.11.22	76	कार्यालय व्यय	900
8	41/29.11.22	77	कार्यालय व्यय	950
9	51/19.01.23	80	ग्राम सभा जलपान	990
10	54/28.01.23	81	ईंटरनेट बिल	1002
11	56/27.03.23	86	ईंटरनेट बिल	1022
12	57/31.03.23	86	मानदेय पंचायत चौंकीदार	3600
13	58/31.03.23	86	बिजली बिल	915
14	59/31.03.23	86	स्टेशनरी	990
15	26/21.09.23	21	ईंटरनेट बिल	1001
16	43/19.01.24	35	बिजली बिल	1245
17	45/19.01.24	35	ईंटरनेट बिल	1002
18	47/20.03.24	42	ईंटरनेट बिल	1021
19	48/31.03.24	44	मानदेय पंचायत चौंकीदार	3600
			कुल योग	**24826**

9 अग्रिम भुगतान राशि ₹2.15/– लाख समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फॉर्म–9 में अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करने उपरान्त किंये गए अग्रिमों का वितीय वर्ष के अन्त में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को सीमेंट के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार राशि ₹215161/– का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया था :–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर/ दिनांक/बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा	दर	राशि (₹)
1	मनरेगा	निल/01.11. 2022/42903	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	–	–	347
2	मनरेगा	निल/01.11.	मै0 हिमाचल प्रदेश	सीमेंट	–	–	26

		2022/42911, 42915	राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	बैग			
3	मनरेगा	निल/01.11. 2022/42902	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	—	—	62
4	मनरेगा	निल/01.11. 2022/42916, 42922,42927	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	—	—	268
5	मनरेगा	निल/28.06. 2023/13989	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	—	—	64160
6	मनरेगा	निल/28.06. 2023/43446, 43575	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	—	—	3736
7	मनरेगा	निल/28.06. 2023/43465, 43576	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	—	—	9678
8	मनरेगा	निल/28.06. 2023/13996	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	—	—	201
9	मनरेगा	निल/28.06. 2023/13997	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	170	401	68170
10	मनरेगा	निल/28.06. 2023/13998	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	170	401	68170
11	मनरेगा	निल/28.06. 2023/14000	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन खनियारा	सीमेंट बैग	—	—	343
					कुल जोड		**215161**

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/500 दिनांकः–25.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–30 दिनांकः– 29.10. 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि हि0प्र0 सिविल सप्लाई को सीमेंट खरीदने हेतु किये गये अग्रिम भुगतान राशि के समायोजन से संबंधित अभिलेख को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा तथा उक्त राशि बारे सिविल सप्लाई खन्यारा से पत्राचार करने उपरान्त समायोजन कर लिया जाएगा

अतः मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार अग्रिम समायोजन रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 राशि ₹6.95 लाख के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान, चयनित मास 11/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण हेतु निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹6,95,087/– के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः–

क.स. व अनुदान	वाउचर सं/दिनांक/बिल संख्या,मस्टोल.स0	मास	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)
1.मनरेगा	निल/21.11.2022,20.06.23,28.06.23/3258,39,799,663,660,662,656,664,798	11/2022, 06/2023	निर्माण साईक्लोन शेल्टर शमशानाघाट वार्ड–2	396553
2.मनरेगा	निल/07.11.2022,21.11.22/2859,2850,3139	11/2022	निर्माण कुल्ह सिंचाई सुविधा हेतु कुल्ह व शकुन्तला देवी के घर से टप्प की ओर वार्ड–5	27220
3.मनरेगा	निल/07.11.2022,21.11.	11/2022	कूल्ह की साफ–सफाई शुभकरण की गौशाला से	62160

	22/2858,2859,3131, 3121		पियुन्गला देवी की जमीन व बाबडी की ओर वार्ड–5	
4.मनरेगा	निल/07.11.2022,21. 11. 22/2851,2852,3133, 3134	11/2022	कूल्ह की साफ–सफाई परचूल कुल्ह से टिकरी की ओर वार्ड–4	72000
5.मनरेगा	निल/07.11.2022,23. 06.2023/2853	11/2022 ,06/ 2023	रास्ते में इंटरलॉक टाईल डालना राज कुमार के घर से मदिंर की ओर वार्ड–3	40817
6.मनरेगा	निल/07.11. 2022/3259	11/2022	निर्माण इंटरलॉक टाईल का कार्य मुख्यरोड से बाबडी की ओर वार्ड–3	7800
7.मनरेगा	निल/07.11.2022,06. 06.2023/2854,499	11/2022 ,06/ 2023	निर्माण रास्ता गांधी राम जमीन से गंगोटी माता मदिर तक वार्ड–1	24599
8.मनरेगा	निल/21.11. 2022/3135,3136	11/2022	रास्ते में इंटरलॉक टाईल डालना पुली से लेकर से चमन लाल के घर की ओर वार्ड–3	8400
9.मनरेगा	पी/4,5,6/01.06. 2023/155,025,530	06/2023	निर्माण औछु पुल्ली वार्ड–1	22012
10.मनरेगा	निल/06.06.2023/ 484	06/2023	भूमि विकास कार्य भुमि संरक्षण हेतु पुली से लेकर शनि देव मंदिर की ओर	7220
11.मनरेगा	निल/06.06.2023/ 513	06/2023	निर्माण कुल्ह पुली से लेकर श्रवण की जमीन की ओर वार्ड–5	5610
12.मनरेगा	निल/06.06.2023,22. 06.2023/638,801	06/2023	निर्माण पौधा रोपण राजकुमार स्पुत्र ढुनिया राम की जमीन में वार्ड–5	20696
			कुल योग	**695087**

उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत तंगरोटी खास से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/502 दिनांकः–25/10/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–30 दिनांकः–29/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

11. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹25.36/– लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 11/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹25,36,145/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/512 दिनांकः–29.10.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत तंगरोटी खास के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 30 दिनांकः–29.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से इस अनियमितता की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "8.1 व 10" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म,

कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था एवं हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गई थी, जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/512 दिनांक:– 29.10.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत तंगरोटी खास को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–30 दिनांक:–29.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से संबंधित अनियमितताओ की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करना:–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/495 दिनांक: 22.10.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–30 दिनांक:–29.10.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में अकुशल मॉनिट्रिंग अभिलेख के चलते किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/495 दिनांकः–22.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–30 दिनांकः–29.10.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

15.1 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022–23 व 2023–24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे, जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपति विवरणिकाः– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्ष**:— लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व समय–2 पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

02 JAN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

50–54

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)129/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत तगरोटी खास, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JAN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP TANGROTI KHAS FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	548492.53	309135.63	857628.16	349352.69	508275.47
2023-24	508275.47	488006.60	996282.07	551377.26	444904.81

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1154837.28	4431670.55	5586507.83	4443093.72	1143414.11
2023-24	1143414.11	3837915.02	4981329.13	3759367.75	1221961.38

पंचायत ... तंगरोटी खास
विकास खण्ड ...
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

27

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या -"5.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP TANGROTI KHAS FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2022-23	109806.41	2087.00	111893.41	63252.17	48641.24
		2023-24	48641.24	254483.00	303124.24	155130.31	147993.93
2	SDP	2022-23	154117.09	5977.00	160094.09	148694.60	11399.49
		2023-24	11399.49	70313.00	81712.49	0.59	81711.90
3	SDP/MPLAD	2022-23	91567.82	2507.00	94074.82	35.40	94039.42
		2023-24	94039.42	16505.00	110544.42	74091.83	36452.59
4	MMGPY	2022-23	8953.53	244.00	9197.53	0.00	9197.53
		2023-24	9197.53	352.00	9549.53	0.00	9549.53
5	14TH FC	2022-23	200408.43	3346.00	203754.43	184104.00	19650.43
		2023-24	19650.43	128.00	19778.43	16885.00	2893.43
6	15TH FC/ZP/PS	2022-23	589984.00	1189461.00	1779445.00	818959.00	960486.00
		2023-24	960486.00	665460.00	1625946.00	682586.00	943360.00
7	MGNREGA	2022-23	0.00	3228048.55	3228048.55	3228048.55	0.00
		2023-24	0.00	2830674.02	2830674.02	2830674.02	0.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत तंगरोटी खास
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

28

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या 4.1(ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत तंगरोटी खास विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176052

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत तंगरोटी खास के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित / एस.डी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक योल	20012008269	201281	239496
2	स्वःस्त्रोत / एस.डी.आर. एफ	पी•एन•बी योल	6710000100037324	66220.66	8117.88
3	स्वःस्त्रोत	पी•एन•बी योल	6710000100023455	135337.37	42513.43
4	स्वःस्त्रोत	का•के•सह•बैंक धर्मशाला	20002132822	145237.50	153923.50
5	वी.के.वी.एन.वाई	पी•एन•बी योल	6710000100038305	109806.41	147993.93
6	एस.डी.पी	पी•एन•बी योल	6710000100031375	154159.09	81711.90
7	एस.डी.पी / एम.पी.लेड	पी•एन•बी योल	6710000100024056	91567.82	36452.59
8	एम.एम.जी.पी.वाई	पी•एन•बी योल	6710000100037333	8953.53	9549.53
9	14वाँ वित्त	एच•डी•एफ•सी.बैंक नगरोटा बंगबां	50100178062562	197515.60	0
10	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	पी•एन•बी योल	6710000100065424	801483	943360
	हस्तगत शेष(ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			416	854
			कुल योग	**1911977.98**	**1663972.76**

सचिव
ग्राम पंचायत तंगरोटी खास
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

परिशिष्ट—4 (प्रा०संख्या – "6.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत तंगरोटी खास विकास खण्ड धर्मशाला ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176052

दिनांक 31—03—2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः—

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022—23 में 371 व 2023—24 में 377 परिवारों का रु 50/— प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः—

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022—23	64900	371	50	18550	83450	19800	63650
2023—24	63650	377	50	18850	82500	20800	61700
	नोटः— दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹61700**/— है।						

प्रधान ग्राम पंचायत तंगरोटी खास विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

30

परिशिष्ट -5 (पैरा संख्या- 6.2)

कार्यालय ग्राम पंचायत तंगरोटी खास विकास खण्ड धर्मशाला ज़िला काँगड़ा हि०प्र०, पिन 176052

प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि जिसे सरकारी कोष में जमा नही करवाया गया है

क्र० सं ०	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वित वर्ष 2023-24 में कुल वसूल की जाने वाली राशि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कुल वसूली गई राशि	राशि जो वसूल करने हेतू शेष है
1	2023-24	3800	3800	0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत तंगरोटी खास
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

31

परिशिष्ट – 6 (पैरा संख्या "7.2")

ग्राम पंचायत तंगरोटी खास द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022-23 के दोरना क्रय की गई निर्माण सामग्री पर किये गये व्यय से सम्बन्धित ब्यौरा

क्र० सं०	वाउचर नं०	मद	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	GST PAID	राशि
1	30	15fc	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	71-7/2/2023	sand	60	36.66	109.98	2309.58
2	30	15fc	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	71-7/2/2023	crusher	120	28.1	168.6	3540.6
3	31	15fc	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	66-29/12/2022	sand	150	36.66	274.95	5773.95
4	31	15fc	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	66-29/12/2022	crusher	150	28.1	210.75	4425.75
			Total			**480**		**764.28**	**16049.88**

नोट:- उपरोक्त खनन सामग्री वैध ट्रांजिट पास फार्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही क्रय किये गये हैं।

T.A./J.E. CIVIL
DEV. BLOCK D/SHALA
SP. Tangroti Khas

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत तंगरोटी खास
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

हस्ताक्षर

दिनांक........................

32

ग्राम पंचायत तंगरोटी खास द्वारा अंकेक्षण अवधि 2023-24 के दोरना क्रय की गई निर्माण सामग्री पर किये गये व्यय से सम्बन्धित ब्यौरा

क्र० सं०	वाउचर नं०	मद	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	GST PAID	राशि
1	9	15fc	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	35-11/4/2023	sand	35	45.71	79.9925	1679.8425
2	9	15fc	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	35-11/4/2023	crusher	20	36.19	36.19	759.99
3	9	15fc	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	35-11/4/2023	Bolder	220	28.57	314.27	6599.67
4	16	15fc	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	4-11/4/2023	crusher	250	36.19	452.375	9499.875
5	16	15fc	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	4-11/4/2023	Bolder	150	28.57	214.275	4499.775
6	31	15fc	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	35-9/1/2024	sand	150	45.71	342.825	7199.325
7	31	15fc	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	35-9/1/2024	crusher	300	36.19	542.85	11399.85
8	31	15fc	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	35-9/1/2024	Bolder	70	28.57	99.995	2099.895
9	2	VKVNY	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	12-10/6/2023	sand	40	45.71	91.42	1919.82
10	2	VKVNY	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	12-10/6/2023	crusher	20	36.19	36.19	759.99
11	34	S F	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	18-4/8/2023	sand	15	45.71	34.2825	719.9325
12	14	SDRF	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	24-19/12/2024	sand	490	45.71	1119.895	23517.795
13	14	SDRF	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	24-19/12/2024	crusher	980	36.19	1773.31	37239.51
			Total			2740		5137.87	107895.3

नोट:- उपरोक्त खनन सामग्री वैध ट्रांजिट पास फार्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही क्रय किये गये है।

T.A./J.E. CIVIL
DEV. BLOCK D/SHALA

हस्ताक्षर

दिनांक..................

33

खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

ग्राम पंचायत तंगरोटी खास द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022-23 के दोरना मनरेगा मद से क्रय की गई निर्माण सामग्री पर किये गये व्यय से सम्बन्धित ब्यौरा

क्र० सं०	वाउचर नं०	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	GST PAID	राशि
1	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	039-13/10/2022	Sand	200	36.66	366.6	7698.6
2	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	039-13/10/2022	Crusher	130	28.1	182.65	3835.65
3	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	073-13/02/2023	Sand	300	36.66	549.9	11547.9
4	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	073-13/02/2023	Crusher	300	28.1	421.5	8851.5
5	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	065-29/12/2022	Sand	700	36.66	1283.1	26945.1
6	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	065-29/12/2022	Crusher	700	28.1	983.5	20653.5
7	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	072-7/2/2023	Crusher	500	28.1	702.5	14752.5
8	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	038-1/10/2022	Sand	65	36.66	119.145	2502.045
9	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	038-1/10/2022	Crusher	65	28.1	91.325	1917.825
10	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	043-17/10/2022	Sand	75	36.66	137.475	2886.975
11	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	044-17/10/2022	Crusher	75	28.1	105.375	2212.875

नोट:- उपरोक्त खनन सामग्री को ट्रांजिट पास फार्म "X" या "M" प्राप्त किये बिना ही क्रय किये गये है।

हस्ताक्षर

34

दिनांक

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तंगरोटी खास विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

T.A./J.E. CIVIL DEV. BLOCK D/SHALA GP Tangroti Khas

12	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	062-29/12/2022	Sand	600	36.66	1099.8	23095.8
13	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	062-29/12/2022	Crusher	600	28.1	843	17703
14	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	054-1/11/2022	Sand	50	36.66	91.65	1924.65
15	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	031-4/6/2022	Sand	300	36.66	549.9	11547.9
16	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	034-4/6/2022	Crusher	300	28.1	421.5	8851.5
17	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	027-4/6/2022	Sand	270	36.66	494.91	10393.11
18	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	027-4/6/2022	Crusher	760	28.1	1067.8	22423.8
19	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	047-21/10/2022	Sand	375	36.66	687.375	14434.875
20	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	049-21/10/2022	Crusher	220	28.1	309.1	6491.1
21	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	064-29/12/2022	Sand	340	36.66	623.22	13087.62
22	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	064-29/12/2022	Crusher	210	28.1	295.05	6196.05
23	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	063-29/12/2022	Sand	350	36.66	641.55	13472.55
24	Nill	Sansar chand s/o Shubhkaran vill. Tangroti khas p.o. yoll cantt. Tehsil Dharamshala	063-29/12/2022	Crusher	265	28.1	372.325	7818.825
		Total			**7750**		**12440.25**	**261245.25**

नोट:- उपरोक्त खनन सामग्री वैध ट्रांजिट पास फार्म "X" या "M" प्राप्त किये बिना ही क्रय किये गये हैं।

T.A./J.E. CIVIL
DEV. BLOCK D/SHALA

ग्राम पंचायत तंगरोटी खास द्वारा अंकेक्षण अवधि 2023-24 के दौरना मनरेगा मद से क्रय की गई निर्माण सामग्री पर किये गये व्यय से सम्बन्धित ब्यौरा

क्र० सं०	वाउचर नं०	फर्म का नाम	बिल सं०/दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	GST PAID	राशि
1	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	005-26/04/2023	Sand	300	45.71	685.65	14398.65
2	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	005-26/04/2023	Crusher	300	36.19	542.85	11399.85
3	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	007-1/5/2023	Sand	350	45.71	799.925	16798.425
4	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	007-1/5/2023	Crusher	450	36.19	814.275	17099.775
5	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	051-19/01/2024	Sand	375	45.71	857.0625	17998.3125
6	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	051-19/01/2024	Crusher	430	36.19	778.085	16339.785
7	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	057-23/01/2024	Sand	300	45.71	685.65	14398.65
8	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	057-23/01/2024	Crusher	300	36.19	542.85	11399.85
9	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	009-1/5/2023	Sand	600	45.71	1371.3	28797.3
10	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	009-1/5/2023	Crusher	800	36.19	1447.6	30399.6
11	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	008-1/5/2023	Sand	400	45.71	914.2	19198.2
12	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	008-1/5/2023	Crusher	470	36.19	850.465	17859.765
13	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	006-1/5/2023	Sand	170	45.71	388.535	8159.235
14	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	006-1/5/2023	Crusher	170	36.19	307.615	6459.915
15	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	052-20/01/2024	Sand	180	45.71	411.39	8639.19

36

T.A./J.E. CIVIL
DEV. BLOCK D/SHALA

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत तंगरोटी खास
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

16	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	052-20/01/2024	Crusher	70	36.19	126.665	2659.965
17	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	056-23/01/2024	Sand	800	45.71	1828.4	38396.4
18	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	056-23/01/2024	Crusher	800	36.19	1447.6	30399.6
19	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	054-22/01/2024	Sand	250	45.71	571.375	11998.875
20	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	054-22/01/2024	Crusher	550	36.19	995.225	20899.725
21	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	053-21/01/2024	Sand	570	45.71	1302.735	27357.435
22	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	053-21/01/2024	Crusher	320	36.19	579.04	12159.84
23	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	059-24/01/2024	Sand	395	45.71	902.7725	18958.2225
24	Nill	DEEPAK BUILDERS vill. Tangroti p.o Ramerh tehsil Dharamshala	059-24/01/2024	Crusher	85	36.19	153.8075	3229.9575
		Total			**9435**		**19305.0725**	**405406.5225**

GRAND TOTAL 790596.9525

नोट:- उपरोक्त खनन सामग्री वैध ट्रांजिट पास फार्म "X या "M" प्राप्त किये बिना ही क्रय किये गये हैं।

हस्ताक्षर

दिनांक

T.A./J.E. CIVIL
DEV. BLOCK D/SHALA

37